उत्तर प्रदेश शासन

दुग्ध विकास अनुभाग-2

संख्या-22/2019 /1060(2)/53-2-19-42(बजट)/18

लखनऊ: दिनांक 15 नवम्बर, 2019

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु हरा चारा उत्पादन एवं वितरण योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 152.04 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-20/2019/1060/53-2-19-42(बजट)/18, दिनांक 05 नवम्बर, 2019 द्वारा निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर -1, प्रस्तर-1(1) एवं प्रस्तर-1(9) में निम्नवत अंकित है-

"उपर्युक्त विषयक मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-495/दुग्ध-4/नियो0 /चारा बीज उत्पा0/ 2019-20, दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में राज्यांश के रूप में प्राविधानित धनराशि रू0 152.04 लाख (रू0 एक करोड़ बावन लाख चार हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं गाइ□लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि का व्यय एसएलएससी द्वारा अनुमोदित योजना/मद पर ही व्यय किया जायेगा। अन्य योजना/ मदों/ कार्यों पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। जिसके लिए दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग/ वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0□0एफ0 एवं सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।"

2- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2019 का प्रस्तर -1, प्रस्तर-1 (1) एवं प्रस्तर-1(9) निम्नवत पढ़ा जायेगा:-

उपर्युक्त विषयक मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-495/दुग्ध-4/नियो0 /चारा बीज उत्पा0/ 2019-20, दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **नेशनल लाइव स्टॉक मिशन कार्यक्रम** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में राज्यांश के रूप में प्राविधानित धनराशि रू0 152.04 लाख (रू0 एक करोड़ बावन लाख चार हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा **नेशनल लाइव स्टॉक मिशन कार्यक्रम** हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं गाइ□लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि का व्यय **नेशनल लाइव स्टॉक मिशन कार्यक्रम** द्वारा अनुमोदित योजना/मद पर ही व्यय किया जायेगा। अन्य योजना/ मदों/ कार्यों पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। जिसके लिए दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग/ वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0□0एफ0 एवं सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

3- शासनादेश संख्या-20/2019/1060/53-2-2019-42(बजट)/18, दिनांक 05 नवम्बर, 2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2019 की शेष नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)

अनु सचिव।

.....2/-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 22/2019 /1060(3)/53-2-2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखापरीक्षा(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3. दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0, जवाहर भवन
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, पशुपालन उ0प्र0 लखनऊ/ नेशनल लाईव स्टॉक मिशन द्वारा दुग्ध आयुक्त, जवाहर भवन लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0 0एफ0 लि0, 29 पार्क रोड़, लखनऊ।
7. कृषि अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनु0-1/पशुधन अनु-2, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. गा फाईल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।